06/07/2024 बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया है कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति इस प्रकार है खसरा नंबर 183, 195, 196 वादी एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं है। अतः वादी स्वयं की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 183, 195, 196 में प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है । अतः वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 183, 195, 196 स्थित ग्राम भीतरली गांवडी की हद तक वाद वादी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

अतः ग्राम भीतरली गांवडी पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 0.06 हैक्टे0, 195 रकबा 0.10 हैक्टे0, 196 रकबा 0.01 हैक्टे0 में वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग करने में किसी भी प्रकार की दखल एवं खलल उत्पन्न नहीं करने व जबरन निर्माण नही करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कियां जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:29:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner